जनपद – संतकबीरनगर
प्रेस विज्ञप्ति
दिनाँक 23.01.2026

कूटरचित व गलत तथ्य प्रस्तुत कर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर विदेश यात्रा करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पासपोर्ट प्रकरण में अबतक 16 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

जनपद संतकबीर नगर के *थाना कोतवाली खलीलाबाद* पर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/2023 धारा 419/420/120बी/467/468/471 भादवि व 8/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 12 पासपोर्ट अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त रुद्र प्रताप पुत्र उमाशंकर निवासी ईमलिडीहा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर (वास्तविक नाम राहुल साही पुत्र श्री राधेश्याम साही निवासी रानीपुर थाना गगहा जनपद गोरखपुर) के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया था। उक्त अभियुक्त रुद्र प्रताप उपरोक्त को चौधरी चरणसिंह अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से बैंकाक से वापस आते समय गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
बरामदगी- एक अदद कूट रचित पासपोर्ट, 02 अदद आधार कार्ड।
गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, का0 संदीप यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1120/2025 धारा 103(1),190,191(2),191(3),351(3),352,61(2),3(5) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नाम पता चंदन सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को चनवापार पोखरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-
चंदन सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि वादी श्री काशीनाथ त्रिपाठी पुत्र स्व0 मोती त्रिपाठी निवासी रुदौली उर्फ मठिया थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर द्वारा दिनाँक 02.12.2025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त व उनके साथियों द्वारा दिनाँक 01.12.2025 को वादी के पुत्र संतोष पति त्रिपाठी उर्फ भोला को मेंहदावल बाईपास पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त को आज दिनाँक 23.01.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री प्रमोद यादव, का0 दीपक कुमार वर्मा, का0 धर्मेन्द्र यादव।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम के तहत 02 अभियुक्तों को 02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मु0अ0स0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आयुध अधिनियम तथा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तगणों नाम पता 01. मो0 समीम पुत्र मो0 नईम निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर व 02. इदू पुत्र जहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दिनाकं 22.01.2026 को साफियाबाद से नौवागाँव बाजार वाली सड़क पर तालाब के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

बरामदगी का विवरण-

01. 02 अदद तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

अभियुक्तगण का विवरण

01. मो0 समीम पुत्र मो0 नईम निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

02. इदू पुत्र जहीर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी व टीम विवरण

प्रभारी निरीक्षक अरविन्द शर्मा मय हमराह अधि0/कर्म0 गण उ0नि0 श्री रवीन्द्र सिंह यादव, उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह, उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 राधेश्याम गिरी व का0 भीम कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 106 वाहनों से 1,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 23.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 106 वाहनों से 1,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 58 स्थानों पर 2207 वाहनों को किया गया चेक।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 95 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 02 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 04 चार पहिया वाहन पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही।*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 जाति सूचक शब्द पर की गयी कार्यवाही*
- *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1486 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 23.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- *जनपद के समस्त थानों द्वारा 51 स्थानों पर 1332 व्यक्तियों को किया गया चेक।*
- *700 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया।*
- *37 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही।*
- *60 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 01 स्थान पर 165 व्यक्तियों को चेक किया गया, 135 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 06 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 199 व्यक्तियों को चेक किया गया, 65 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 09 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 50 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 12 स्थानों पर 110 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 48 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 04 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 08 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 260 व्यक्तियों को किया गया, 190 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 05 स्थानों पर 120 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 पंजीकृत अभियोग व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक करते हुए 45 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 04 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 03 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक किया गया, 95 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 03 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों पर 37 व्यक्तियों को चेक किया गया, 43 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 05 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।